न्यायालयः अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद जिला प्रतापगढ

राजस्थान राज्य बनाम अश्विन

नियमित दाण्डिक प्र.सं. 01/2026

दिनांकः 14.03.2026

राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप–10) विभाग के आदेश क्रमांक प. 16(02)ल.प्र./गृह–10/2023/पार्ट जयपुर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम के ऐसे प्रकरण जिनमें बरामदगी अधिकतम 10 लीटर शराब हो, आरोप–पत्र दिनांक 31.01.2026 तक न्यायालय में पेश हो चुका हो एवं अभियुक्त द्वारा प्रथम बार आबकारी अधिनियम में अपराध कारित किया गया हो, को प्रत्यारित किये जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने पर पत्रावली सीगे से तलब की गयी। राज्य सरकार के उक्त आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत् दिनांक 03.01.2026 को अभियोग–पत्र पेश किया गया है। इस मामले में अभियुक्त से 08 बोतल कच्ची महुए की हथकड शराब बरामद किये जाने का उल्लेख है। पत्रावली में अभियुक्त के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम में पूर्व में अपराध कारित किये जाने का कोई तथ्य नहीं है।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रकरण विड्रो किये जाने से, विड्रो की अनुमति दी जाकर उक्त अभियुक्त अश्विन पिता मणिलाल निवासी माण्डकला पुलिस थाना धरियावद को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा शराब, यदि विचारण के दौरान निस्तारण के आदेश नहीं दिये गये हो, तो नियमानुसार नष्ट किये जाने हेतु सम्बन्धित थाने को तहरीर जारी हो।

प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण जरिये लोक अदालत फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राजात दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
धरियावद जिला प्रतापगढ़

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धरियावद जिला प्रतापगढ